न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/37/2022 दायर दिनांकः– 23/12/2022

जीसीएमएस नं0:–2022/781 निर्णय दिनांकः– 14/06/2024

वउनवान

1. प्रेमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा तहसील कठूमर जिला अलवर।

——वादी

बनाम

1. गंगा पुत्री श्रीचन्द जाति जाटव निवासी अर्रूवा
2. चेतराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाटव निवासी अर्रूवा
3. पप्पू पुत्र बैनामी जाति जाटव निवासी अर्रूवा
4. प्रहलाद पुत्र श्रीचन्दजाति जाटव निवासी अर्रूवा
5. मुकेश पुत्र करणसिंह जाति जाटव निवासी अर्रूवा
6. केहरी पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा
7. समुन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा
8. केदार पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा
9. सतपाल पुत्र माता प्रेम जाति जाटव निवासी अर्रूवा
10. ईश्वर पुत्र माता प्रेम जाति जाटव निवासी अर्रूवा
11. वीकेश पुत्र रामचरणजातिजाटवनिवासी अर्रूवा
12. रमोली पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी अर्रूवा तहसील कठूमर जिला अलवर
13. सन्नू पुत्र कन्ना जाति नट निवासी नेबाडा
14. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर
15. तहसीलदार कठूमर वहैसियतलैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

—— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188

राजस्थान काश्तकारीअधिनियम, 1955

उपस्थितिः–श्री कृपादयाल गुर्जर–अधिवक्ता वादी

श्री धनश्याम शर्मा–अधिवक्ता प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 0.77 हैक्ट0 वाके ग्राम अर्रुवा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है।उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है।लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है इस वजह से कम फाल पैदा होती है।वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है।वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया।प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, झगडा करते है, तथा बिना तकासमा कराये विवादित आराजी को रहन बय करना चाहते है।अतः वादी ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने, प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1, 3 ला0 10 व 13 ने दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकबाल जबाव पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 15.12.2023 को प्रतिवादी सं0 2 व 11 ला0 12 तथा 14 ला0 15 बावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील से उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम अर्रुवा की सत्य प्रतिलिपी पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह साबित है कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है।प्रतिवादी सं0 1, 3 ला0 10 तथा 13 ने ईकबाल जबाव पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा कथन किया है कि विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकसीम कर दी जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसकी हम सहमति देते है। प्रतिवादीगण के ईकबाल जबाव के आधार पर वाद वादी दिनांक 15.12.2023 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार कठूमर ने

14.6.24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आदेश की पालना मे विवादित आराजी बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 06.06.2024 को पेश किया है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुर्रेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 538 मिन रकबा 0.1283 हैक्ट0 मुकेश पत्नि करणसिंह जाति नट, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1284 हैक्ट0 सन्नू पुत्र कन्ना जाति नट हिस्सा 779/1284, भौहता पत्नि स्व0 रामजीलाल, केहरी, केदार, समुन्द्र, सतपाल पि0 स्व0 रामीललाल जाति जाटव हिस्सा 505/1284, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1283 हैक्ट0 पप्पू पुत्र बेनामी जाति नट, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1619 हैक्ट0 प्रेमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाटव, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.3231 हैक्ट0 प्रहलाद पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 252/359 रहिन बदस्तूर, चेतराम पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 107/1077, गंगा पुत्री श्रीचन्द हिस्सा 107/1077, ईश्वर, प्रेमवती, सुमन, बिरमा पुत्र व पुत्रियॉ माता प्रेम हिस्सा 428/5385, विश्वेन्द्र, प्रज्ञा, प्रिन्सी, रोनिल पुत्र व पुत्रियॉ स्व0 राममचरण माता प्रेम हिस्सा 107/5385 जाति जाटव मुताबिक जमाबन्दी वाके ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर को तकसीम में दिया है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 538 मिन रकबा 0.1283 हैक्ट0 मुकेश पत्नि करणसिंह जाति नट, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1284 हैक्ट0 सन्नू पुत्र कन्ना जाति नट हिस्सा 779/1284, भौहता पत्नि स्व0 रामजीलाल, केहरी, केदार, समुन्द्र, सतपाल पि0 स्व0 रामीललाल जाति जाटव हिस्सा 505/1284, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1283 हैक्ट0 पप्पू पुत्र बेनामी जाति नट, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1619 हैक्ट0 प्रेमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाटव, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.3231 हैक्ट0 प्रहलाद पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 252/359 रहिन बदस्तूर, चेतराम पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 107/1077, गंगा पुत्री श्रीचन्द हिस्सा 107/1077, ईश्वर, प्रेमवती, सुमन, बिरमा

14.6.24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पुत्र व पुत्रियों माता प्रेम हिस्सा 428/5385, विश्वेन्द्र, प्रज्ञा, प्रिन्सी, रोनिल पुत्र व पुत्रियां स्व0 राममचरण माता प्रेम हिस्सा 107/5385 जाति जाटव वाके ग्राम अर्कवा तहसील कठूमर में दिये जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बाबत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1 / 37 / 2022 दायर दिनांकः— 23 / 12 / 2022

जीसीएमएस नं0:—2022 / 781 निर्णय दिनांकः— 14 / 06 / 2024

वउनवान

1.प्रेम प्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा तहसील कठूमर जिला अलवर।

——वादी

बनाम

1. गंगा पुत्री श्रीचन्द जाति जाटव निवासी अर्रूवा
2. चेतराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाटव निवासी अर्रूवा
3. पप्पू पुत्र बैनामी जाति जाटव निवासी अर्रूवा
4. प्रहलाद पुत्र श्रीचन्दजाति जाटव निवासी अर्रूवा
5. मुकेश पुत्र करणसिंह जाति जाटव निवासी अर्रूवा
6. केहरी पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा
7. समुन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा
8. केदार पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी अर्रूवा
9. सतपाल पुत्र माता प्रेम जाति जाटव निवासी अर्रूवा
10. ईश्वर पुत्र माता प्रेम जाति जाटव निवासी अर्रूवा
11. वीकेश पुत्र रामचरणजातिजाटवनिवासी अर्रूवा
12. रमोली पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी अर्रूवा
    तहसील कठूमर जिला अलवर
13. सन्नू पुत्र कन्ना जाति नट निवासी नेबाडा
14. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर
15. तहसीलदार कठूमर वहैसियतलैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

— प्रतिवादीगण

14.6.24

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 538 मिन रकबा 0.1283 हैक्ट0 मुकेश पत्नि करणसिंह जाति नट, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1284 हैक्ट0 सन्नू पुत्र कन्ना जाति नट हिस्सा 779/1284, भौहता पत्नि स्व0 रामजीलाल, केहरी, केदार, समुन्द्र, सतपाल पि0 स्व0 रामीललाल जाति जाटव हिस्सा 505/1284, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1283 हैक्ट0 पप्पू पुत्र बेनामी जाति नट, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.1619 हैक्ट0 प्रेमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाटव, आराजी खसरा 538 मिन रकबा 0.3231 हैक्ट0 प्रहलाद पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 252/359 रहिन बदस्तूर, चेतराम पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 107/1077, गंगा पुत्री श्रीचन्द हिस्सा 107/1077, ईश्वर, प्रेमवती, सुमन, बिरमा पुत्र व पुत्रियॉं माता प्रेम हिस्सा 428/5385, विश्वेन्द्र, प्रज्ञा, पिन्सी, रोनिल पुत्र व पुत्रियॉं स्व0 राममचरण माता प्रेम हिस्सा 107/5385 जाति जाटव वाके ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर में दिये जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बाबत अलग अलग खाता कायम करें।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

14.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)